

“कोरोना महामारी की चुनौती के समक्ष बदलती संघीय शासन व्यवस्था”

डॉ. राकेश कुमार गोडीवाल

सहायक आचार्य

श्रीमती कंचन देवी महाविद्यालय, रामगढ़ पचवारा,  
लालसोट, दौसा (राज.)

ईमेल : [rakesh.kumar8475@gmail.com](mailto:rakesh.kumar8475@gmail.com)

**DECLARATION:** I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR, PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

### सारांश :

संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन केन्द्र व राज्यों के मध्य होता है। भारत के संदर्भ में बात की जाये तो यह विभाजन संघ सूची व राज्य सूची और समर्वता सूची के माध्यम से किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को प्रदान की गई हैं। इन्हीं के माध्यम से राज्य अपने विकास की इमारत का निर्माण करता है। केन्द्र व राज्यों के मध्य सम्बन्धों की प्रवृत्तियाँ परिवर्तित समय, देशकाल व परिस्थितियों के अनुसार निरन्तर बदलती रहती हैं।

कोरोना संकट के काल में प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राज्य व राष्ट्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। व्यक्ति की जीवन शैली में व्यापक बदलाव आए हैं तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध व गतिशीलता में परिवर्तन इंगित हुए हैं। दृष्टिगत है कि यह परिवर्तन विधायी, वित्तीय एवं प्रशासनिक सम्बन्धों के संदर्भ में है।

### परिचय :

केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन परिसंघ का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होती है और वे एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह परिसंघ का सैद्धान्तिक स्वरूप है। किन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग प्रत्येक अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुरूप करता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के संविधान में प्रारम्भ में परिसंघ का सैद्धान्तिक रूप में कठोरता से पालन किया गया था और केन्द्र की शक्तियाँ परिभाषित थीं और राज्यों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। परिणामस्वरूप केन्द्र राज्यों की अपेक्षा कमज़ोर था, किन्तु बाद में इन देशों में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, विशेष रूप से दोनों महायुद्ध, जिसके फलस्वरूप धीरे-धीरे केन्द्र की शक्तियाँ बढ़ती गईं और आज इन देशों में भी केन्द्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बन गया है। इन देशों की घटनाओं से अनुभव प्राप्त करके कनाडा ने जो केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्ति-विभाजन की योजना अपनायी, इसमें उसने केन्द्र को सशक्त रखा और अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को प्रदान की। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों के अनुसार और इन देशों में हुए परिवर्तनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एक सशक्त केन्द्र की स्थापना को उचित समझा और केन्द्र को सशक्त बनाया ताकि देश की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार हमारे संविधान में परिसंघ प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लागू करके संविधान निर्माताओं ने एक नया स्वरूप प्रदान किया।<sup>1</sup>

के.सी. व्हीयर ने इसे अर्ध-संघ की संज्ञा दी और कहा कि, "India is a Unitary State with subsidiary federal principles rather than a Federal State with subsidiary unitary principles".<sup>2</sup>

सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1970 के दशक में कहा था कि भारतीय संघ उभयचर प्रकृति का है, जो कभी एकात्मक तो कभी संघीय हो जाता है। संविधान सभा में बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा ने जब कहा कि, "भारत में एक केन्द्रीकृत गणतंत्र होना चाहिए", तब डॉ. अम्बेडकर ने भी कहा कि, "व्यक्तिगत तौर पर वे मजबूत केन्द्र के पक्षधर हैं"। इसी धारणा के अनुरूप भारतीय संविधान में प्रावधान किये गये। भारतीय संघ के गठन के समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी, जिसमें देशी रियासतों में अपकेन्द्रीय प्रवृत्ति थी। 560 से अधिक छोटी-बड़ी रियासतें थीं, इनमें से कई इस अवसर पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखना चाहती थीं। इनमें जुनागढ़, गोवा तथा हैदराबाद भारत में विलय के पक्षधर नहीं थीं। ऐसी स्थिति में भविष्य के लिए केन्द्र का सशक्त होना आवश्यक था। भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषायी तथा आर्थिक विषमताओं के कारण भी समस्त भारत को अखण्ड रखने की आवश्यकता थी। प्रारंभ के बीस सालों तक राजनीति में संघवाद को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, परन्तु 1970 के दशक में राज्यों द्वारा स्वायतता की मांग उठी जिसके लिए पी.वी. राजमन्नार समिति का गठन भी हुआ। 1980 के दशक में केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुख्य रूप से केन्द्र राज्य, विधायी, संबंध, राज्यपाल की भूमिका तथा अनुच्छेद-356 में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, परन्तु अनुशंसा की कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधायन तथा राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों से सहमती ली जाये तथा राज्यपाल के मामले में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति की सलाह ली जानी चाहिए, परन्तु यह लागू नहीं हुआ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को हमारे संविधान के प्रावधानों के द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह दर्शाया गया है कि "भारत राज्यों का एक संघ है" अर्थात् यह राज्यों का संघ है, संघवादी राज्य नहीं है। भारतीय संविधान में दर्शाये गये प्रावधानों में केन्द्र और राज्यों के मध्य कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों के मध्य साधारणतया तीन प्रकार के सम्बन्ध दर्शाये गये हैं<sup>3</sup> –

- विधायी सम्बन्ध
- प्रशासनिक सम्बन्ध
- वित्तीय सम्बन्ध

#### (1) विधायी सम्बन्ध<sup>4</sup> :

भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के मध्य विधायी सम्बन्धों का प्रावधान भाग-11 के अध्याय-1 में अनुच्छेद-245 से 255 के अन्तर्गत किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों – (1) संघ सूची, जिसमें 97 विषय, (2) राज्य सूची में 66 विषय तथा (3) समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची 52 विषयों का समावेश किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद-248 यह प्रावधान करता है कि इन तीनों सूचियों से बाहर के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास सुरक्षित है। अनुच्छेद-245 यह प्रावधान करता है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद-249 के अनुसार, राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित किया जाये कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून निर्माण कर सकती है, तो उस विषय पर कानून बनाना विधिसंगत होगा। राज्य सभा का ऐसा संकल्प

केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। अनुच्छेद-250 के अनुसार, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद-252 के अनुसार, यदि किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डलों ने यह संकल्प पारित किया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद-253 के अधीन संसद को अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों के कार्यान्वयन के लिए चाहे वह राज्य सूची का ही विषय हो, भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद-356 के अनुसार, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद के द्वारा प्रयोग की जायेगी।

### (2) प्रशासनिक सम्बन्ध<sup>5</sup> :

भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्धों का उल्लेख अनुच्छेद 256–263 में किया गया है। अनुच्छेद-256 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जायेगा, जिसमें संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को निर्देश देने तक विस्तृत होगा, जिसे भारत सरकार उस उद्देश्य के लिस आवश्यक समझे। अनुच्छेद-257 के अनुसार, प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े। अनुच्छेद-258 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी राज्य सरकार की सहमती से, संघ की कार्यपालिका शक्ति को उस राज्य सरकार को सौंप सकती है। इसी प्रकार केन्द्र की तरह राज्य सरकारें भी अपने कार्यों को संघ सरकार को सौंप सकती हैं। अनुच्छेद-261 यह प्रावधान करता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को सम्पूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में पूरा विश्वास और सम्पूर्ण मान्यता प्रदान की जायेगी। अनुच्छेद-262 के अनुसार, संसद कानून द्वारा अन्तर्राजिक नदियों या नदी-घाटियों के जल प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से सम्बन्धित किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबन्ध कर सकती है।

### (3) वित्तीय सम्बन्ध<sup>6</sup> :

किसी भी परिसंघात्मक प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों के वित्तीय साधन पर्याप्त हो, जिससे संविधान द्वारा आरोपित अपने—अपने उत्तरदायित्वों का वे सुचारू रूप से पालन कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-264 से 291 तक केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का समावेश किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं का यह मत था कि केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध लचीले हों और बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूलनीय रहे। इस उद्देश्य के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का उपबन्ध भी किया गया है, जो समय—समय पर वित्त स्थिति पर पुनर्विचार करेगा और संशोधन एवं परिवर्तन का सुझाव देगा। किसी भी परिसंघीय संविधान में इस तरह की कोई विस्तृत व्यवस्था नहीं है, जिसके माध्यम से केन्द्र और राज्यों में राजस्वों के वितरण का समयानुकूल समायोजन और वितरण होता रहे। इस व्यवस्था को अपना कर भारतीय संविधान ने निस्संदेह इस जटिल क्षेत्र में एक मौलिक योगदान दिया है।

अनुच्छेद-265 यह उपबन्ध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संगृहित नहीं किया जायेगा। किसी कार्यपालिकीय आदेश द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। कर अधिरोपित करने वाली विधि वैध हानी चाहिए अन्यथा कर भी अवैध हो जायेंगे। संविधान के किसी उपबन्ध द्वारा यदि कर लगाने का निषेध है तो वह कर—विधि अवैध होगी। अनुच्छेद-266 के अनुसार भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है, जिसे 'भारत की संचित

निधि' कहा जाता है। संचित निधि में से कोई भी धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात् ही निकाली या व्यय की जा सकती है। अनुच्छेद-268 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों में राजस्वों के वितरण की व्यवस्था करता है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का आत्यान्तिक अधिकार है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का आत्यान्तिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उल्लेख है।

#### कोरोना काल में केन्द्र-राज्य संवाद :

कोरोना वायरस (सीओबी) का सम्बन्ध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसम्बर 2019 में चीन के युहान में शुरू हुआ था। डब्ल्यू.एच.ओ. के मुताबिक बुखार, खासी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। 11 सितम्बर, 2020 तक दुनिया भर में 215 देश और प्रान्त इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, दुनिया भर में 9 लाख 5 हजार से अधिक मौतों के साथ 2 करोड़ 79 लाख से अधिक पुष्ट मामले हैं। कोरोना के मामले में मृत्युदर 3.2 प्रतिशत है। भारत में 11 सितम्बर, 2020 तक कुल 45 लाख 62 हजार 414 मामलों की पुष्टि की गई। संक्रमण के सबसे ज्यादा ममले और मौते मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात में हुई हैं। भारत में इस प्रकोप की बढ़ती हुई तीव्रता से समय रहते बचाव, सक्रियता, श्रेणीबद्ध, पूर्ण सरकार, समाज आधारित दृष्टिकोण के लिए आहवान किया और संक्रमण को रोकने, जीवने को बचाने एवं महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रणनीति बनायी।

भारत सरकार ने उच्चतम स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 को चुनौती दी, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, सरकार द्वारा लिया गया एक साहसिक निर्णय था, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के आहवान पर विशाल जनसमूह द्वारा स्वयं लगाए गए जनता कर्पर्यु के माध्यम से हुई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत कोविड-19 का प्रबंधन करने के लिए सामूहिक रूप से खड़ा हुआ है और देश ने कोविड की तीव्रता को सफलतापूर्वक सीमित किया है।

भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने और इसे सीमित करने के लिए अनेक प्रक्रियाएँ शुरू की गईं। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से मुद्राओं को समझने और प्रभावी कोविड प्रबंधन में राज्यों के साथ सहयोग करने के लिए बातचीत की गई। कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों की समिति ने स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड़डयन, गृह, कपड़ा, फार्मा, वाणिज्य और राज्य के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठक की गई।

माननीय प्रधानमंत्री के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 29 मार्च, 2020 को 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया गया। राज्यों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। भारत सरकार ने अतीत में हुई महामारियों और इनके सफलतापूर्वक प्रबंधन के अनुभव के आधार पर, राज्यों सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ अपेक्षित रणनीतियाँ, योजनाएँ और प्रक्रियाएँ साझा की गईं। इनमें यात्रा, व्यवहार और मनो-सामाजिक स्वास्थ्य, निगरानी, प्रयोगशाला सहायता, अस्पताल के बुनियादी ढाँचे, नैदानिक प्रबंधन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तर्कसंगत उपयोग आदि से संबंधित विषयों की एक विस्तृत शृंखला का निर्माण किया गया।<sup>7</sup>

भारत सरकार द्वारा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमान को भारत के किसी भी हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। यात्रा सम्बन्धी संक्रमण मामलों के लिसे सबसे पहले सामुदायिक निगरानी शुरू की गई और फिर बाद में सामुदायिक मामलों की रिपोर्ट के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) चलाया गया। संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने की रणनीति की परिकल्पना में कुछ मुख्य निर्णय लिये गये, जो निम्न प्रकार से रहे<sup>8</sup> –

- (1) कंटेनमेंट और बफर जोन को परिभाषित किया गया।
- (2) सख्त परिणिति नियंत्रण लागू किया गया।
- (3) मामलों और सम्पर्कों का पता लगाने के लिए गहन सक्रिय घर-घर जाँच।
- (4) अलगाव (आइसोलेशन) और संदिग्ध मामलों और उच्च जोखिम वाले सम्पर्कों का परीक्षण।
- (5) उच्च जोखिम सम्पर्कों को क्वारंटीन।
- (6) सरल निवारक उपायों पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र उपचार की आवश्यकता के लिए गहन जोखिम सम्बन्धी संचार।
- (7) कंटेनमेंट और बफर जोन में निष्क्रिय इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी में मजबूती से निगरानी।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी तैयारियों विशेष रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण – पीपीई के स्टॉक का आंकलन करने और उसकी खरीद करें। केन्द्र सरकार द्वारा 32,109 वैंटिलेटर राज्यों को आवंटित किये गये।

#### **कोरोना काल में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में टकराव :**

इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर भारत में कोविड की रोकथाम के लिए राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किये गये। इन दिशा-निर्देशों को जारी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 को आधार बनाया गया एवं राज्यों द्वारा इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई गयी। विश्व स्तर पर डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, इस कारण भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार राज्यों को कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु राज्यों पर कुछ बाध्यताएं अधिरोपित की गई।

केन्द्र सरकार द्वारा 1887 के महामारी कानून और 2005 के आपदा प्रबंधन कानून को लागू कर असाधारण शक्तियाँ प्राप्त की गई, जो कहीं ना कहीं केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी सम्बन्धों में टकराव उत्पन्न करते हैं। हालांकि, कारोनो काल में प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित कर यह दर्शाया गया था कि कोरोना की रोकथाम के लिसे जो भी बड़े निर्णय किए जा रहे हैं, वे राज्यों की पूर्ण सहमती के साथ किये गये हैं। अपितु कहीं-न-कहीं राज्यों में केन्द्र के नियमों को लेकर असंतोष था, खासकर लॉकडालन से जुड़े नियम कानूनों को लेकर, उद्योगों में कार्य बहाली या बंदी को लेकर और केन्द्रीयकृत जाँच अभियानों के जरिए राज्यों की जवाबदेहिता को लेकर। कुछ राज्यों ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण और उनकी कार्यक्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की भावना के रूप में देखा गया। क्या कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों को केन्द्र और राज्य आपस में मिलकर भी तय कर सकते थे, ऐसे कुछ प्रश्न आज भी उठते हैं। राज्यों को जारी किये राहत पैकेजों की मांग राज्यों और केन्द्र के मध्य टकराव का मुख्य विषय रहा है, जिसको लेकर राज्यों द्वारा आज भी केन्द्र सरकार पर दोषा-रोपण किया जाता है।<sup>9</sup>

गैर-एनडीए शासित राज्यों ने हाल के दिनों में केन्द्र पर अत्यधिक दबाव डालने और सलाहों की अनसुनी के आरोप लगाए हैं। केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्यों ने कोरोना काल में केन्द्र सरकार पर कई आरोप अधिरोपित किये तथा बिहार में बीजेपी के सहयोग वाली नीतीश कुमार सरकार ने भी लॉकडाउन में आवाजाही और परिवहन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी।

भारत की विशालता, विविधता और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान प्रतिस्पर्धी और राजनीतिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील माहौल में सभी राज्यों के लिए एक जैसी नीति या एक जैसा फैसला लागू नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि कोई फैसला किसी एक राज्य के लिए सही हो, लेकिन दूसरे राज्य के हितों से टकराता हो तो संघवाद की भावना पर ही असर पड़ेगा। हाल के वर्षों में उदाहरण के लिए बीफ पर लगाए प्रतिबंध को ही ले सकते हैं, जिसमें केरल, गोवा, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में इस आदेश का भारी विरोध हुआ था। इसी प्रकार देश के 19 राज्यों की सरकारों ने सीएए लागू करने के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास किये थे। सबसे पहले केरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए अनुच्छेद-131 का हवाला दिया गया था, जिसके तहत केन्द्र और राज्यों को आपसी विवादों में सुप्रीम कोर्ट को ही अन्तिम निर्णय देने का प्रावधान है। केन्द्र-राज्य संबंधों में गतिरोध की एक प्रमुख वजह वित्त आयोग की कुछ फंड आवंटन नीतियों को भी बताया जाता है।<sup>10</sup>

पिछले दिनों मोटर वाहन अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों को अस्वीकार कर कुछ राज्यों ने इस कानून को शिथिल और लचीला बनाया। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने उस दौरान कहा था कि उनके बदलाव राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन राज्यों ने इसे नकारात्मक रूप में लिया। जल बंटवारें की बात हो या जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के विस्थापन या पुनर्वास का मामला, राज्यों के साथ केन्द्र के टकराव बढ़ते ही जा रहे हैं और इस दिशा में कोई सामंजस्यपूर्ण कोशिशें फिलहाल नजर नहीं आती। देश के आर्थिक विकास में राज्यों की बुनियादी भूमिका के बावजूद जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णय एक अविकेन्द्रीकृत सत्ता व्यवस्था की झलक दिखाते हैं।

इस अभूतपूर्व कोरोना संकट के समय आपसी समन्वय और विश्वास का अभाव केन्द्र और राज्यों के मध्य नहीं दिखना चाहिए था। ये कठिन समय केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के लिए भी कठिन परीक्षा की घड़ी की तरह है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि अंतरराज्यीय परिषद् को सक्रिय किया जाए, जहाँ राज्य अपनी शिकायतें रख सके, उनकी सुनवाई हो तथा उनके निराकरण की कोशिशें की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात केन्द्र और राज्यों के बीच संवादहीनता, संशय और गलतफहमी समाप्त हो सके। परिषद् की बैठकें नियमित रूप से वर्ष में कम-से-कम तीन बार रखी जा सकती हैं। प्रत्येक बैठक की रिपोर्ट प्राप्त होगी तो केन्द्र और राज्य दोनों के मध्य आपसी विवादों के बिन्दुओं को समझा जा सकेगा।

विश्व स्तर पर भौगोलिक आधार एक वृहद् और महत्वपूर्ण देश भारत के राज्य किसी भी समन्वित कार्यवाही में अपनी बराबर की भागीदारी रखना चाहेंगे, बराबरी से कम भूमिका भारतीय राज्यों को स्वीकार भी नहीं होगी, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी भूमिका और स्थिति है, जो उन्हें भारतीय संघ में पहचान प्रदान करती है। केन्द्र और राज्यों के मध्य सम्बन्धों में इस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कड़वाहट को समाप्त करने के लिए आपसी संवाद को और प्रगाढ़ और पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। इसलिए महामारी के काल में डिस्ट्रेंसिंग की अनिवार्यता का ख्याल रखते हुए भी केन्द्र को राज्यों के और निकट जाना होगा, तभी देश में संघवाद सफल बना रह सकता है।

### संदर्भ :

1. पाण्डे, जयनारायण, "भारत का संविधान", 2018, पृ.सं. 645
2. वीयर, के.सी., "फैडरल गवर्नेंमेंट", 2021, पृ.सं.
3. पाण्डे, जयनारायण, "भारत का संविधान", 2018, पृ.सं. 645
4. बसु, दुर्गदास, "भारतीय संविधान का परिचय", 1960, पृ.सं. 144
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 246
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 247
7. [www.pib.gov.in](http://www.pib.gov.in) – कोविड महामारी और भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदामों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का 14 सितम्बर 2020 को लोकसभा और राज्यसभा में सचतः संज्ञान वक्तव्य।
8. उपर्युक्त।
9. [www.dw.com](http://www.dw.com)
10. [www.orfonline.org](http://www.orfonline.org)

#### Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date .If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues .I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me

डॉ. राकेश कुमार गोडीवाल

श्रीमती कंचन देवी